



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258189
CG-DL-E-23102024-258189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946

No. 605]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2024

सं. 70/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 663(अ).—जबकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 ने उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 345 में यथा विनिर्दिष्ट अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले "अपरिष्कृत हीरे (औद्योगिक या गैर-औद्योगिक)" विवरण के माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है;

और जबकि, उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 02/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उप-शीर्षक या टैरिफ मद "7102 21, 7102 3100" (इसमें इसके बाद उक्त माल के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत आने वाले विवरण "सिंपली सॉन डायमंड्स" के माल को शर्त संख्या 110 के अधीन, क्रम संख्या (क्र.सं.) 345क, कि " यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है, जैसा भी मामला हो, किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) के तहत जारी एक प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते

हुए कि आयातित सामान हीरे हैं, इसमें केवल कटाई के आगे कोई काम नहीं किया गया है", को अंतःस्थापित करके 2 फरवरी, 2022 से शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई थी;

और जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 जुलाई, 2017 से 1 फरवरी, 2022 की अवधि के दौरान भारत में आयात किए गए उक्त सामानों पर अधिसूचना सं. 50/2017 सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के गैर-उद्धरण के संबंध में आमतौर पर एक प्रथा प्रचलित थी;

अतः अब, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, निदेश देती है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क का पूरा शुल्क, उक्त अधिसूचना के साथ पठित, तो उक्त माल के आयात पर देय, यदि कोई हो, 1 जुलाई, 2017 से 1 फरवरी, 2022 की अवधि के दौरान, लेकिन उक्त प्रथा के लिए, उक्त माल के आयात के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 450/269/2022-सीमा शुल्क IV]

संजीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2024

No. 70/2024—Customs (N.T)

G.S.R. 663(E).—Whereas, the notification no. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (hereinafter referred to as the said notification) allowed duty free import of goods of the description "Rough diamonds (industrial or non-industrial)" falling within Chapter 71 as specified against serial number (S.No.) 345 of the said notification;

And whereas, the said notification was amended by notification no. 02/2022-Customs, dated the 1st February, 2022, allowing duty free import of goods of the description "Simply Sawn Diamonds" falling under the sub-heading or tariff Item "7102 21, 7102 3100" (hereinafter referred to as the said goods) by inserting serial number (S.No.) 345A, subject to condition number 110 that "If, the importer produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate issued under Kimberly Process Certification Scheme (KPCS) certifying that the imported goods are diamonds, not further worked than simply sawn", with effect from 2nd February, 2022;

And whereas, the Central Government is satisfied that a practice was generally prevalent regarding non-levy of duty of customs leviable under the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with the notification no. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, as amended, on the said goods imported into India during the period from 1st July, 2017 to 1st February, 2022;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby directs that the whole of the duty of customs leviable under the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with the said notification, if any payable on the import of the said goods, during the period from 1st July, 2017 to 1st February, 2022, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of import of the said goods.

[F. No. 450/269/2022-CusIV]

SANJEET KUMAR, Under Secy.